न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 09/2020

वादी :–

नानकराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी चान्देलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भूराराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी चान्देलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– वादी – श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण सं. 1 – श्री पारस चौहान अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण सं. 2 – सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः**– 21/04/20

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 25 वीघा 15 बिस्वा स्थित है, यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की है। सहखातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर लिया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि वादी के बंट में आयी तथा खसरा नम्बर 303 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में आयी, जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1901 दर्ज किया गया। भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी की भूमि के चारों ओर पुरानी माट कायम की हुयी है तथा वादी इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी की भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी के पूर्वी दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी स्थित है। वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्तशुदा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से दिनांक 22.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि खसरा नम्बर 303/1 में नाजायज तौर से प्रवेश कर खेत के चारो ओर पत्थरों की खड़ी की गयी पट्टिया एवं तारबंदी को तोड़ दिया तथा भूमि के अन्दर खड़ी चने की फसल को नष्ट कर दिया। वादी ने प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि में नाजायज तौर पर ऐसी हरकत करने से मना किया लेकिन प्रतिवादी नहीं माना तथा वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया। ऐसी नाजायज हरकत करने के कारण वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 24.12.2019 को रिपोर्ट को पेश किया, जिस पर पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा ने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही को दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया गया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 की इन नाजायज हरकतों को रोकने के लिए वादी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्तयुदा है, जिसमें प्रतिवादी को किसी प्रकार की दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी ने नाजायज तौर से खेत के चारों ओर खड़ी पत्थरों की पट्टीया एवं तारबंदी को तोड़ दिया तथा खेत में खड़ी चने की फसल को नष्ट करने की नियत से वादी की खातेदारी अधिकारों एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी। इस कारण वादी का अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की रक्षा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है अगर प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से नही रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती एवं प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से रोका जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 22.12.2019 को प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी में नाजायज तौर से खेत में खड़ी चारों ओर पत्थरो की पट्टिया तथा तारबंदी को तोड़ देने पर तथा खेत में खड़ी चने की फसल को नष्ट कर देने पर बमुकाम ग्राम चान्देलाव पैदा हुआ। दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी (2.0791 हैक्टेयर) में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अपने परिवार के अन्य सदस्य, एजेन्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करावे तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 वादी की खातेदारी की भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे। खर्चा मुकदमा वादी को, प्रतिवादी सं. 1 से दिलाया जावें।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया, प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री पारस चौहान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 19.07.2021 को जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खंडन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नानकराम पुत्र गुलाराम का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 खसरा नंबर 303, 303/1 ग्राम चांदेलाव,

प्रदर्श 2 2074 से 2077 खसरा नंबर 303 ग्राम चांदेलाव, प्रदर्श 3 नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 303 ग्राम चांदेलाव, प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 303/1 ग्राम चांदेलाव वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम चांदेलाव की भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 2.0791 हैक्टयर के वादी रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादी को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादी की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी नानकराम की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– आदेशः–

अतः वादी नानकराम का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 2.0791 में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/16 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**
नानकराम भूराराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 09/2020

निर्णय **दिनांक :-** 21/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री पारस चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी नानकराम का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 303/1 रकबा 2.0791 में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा